श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2015 को आयोजित राजस्व एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी में संधारित है।

1. **भू–लगान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू–लगान की वसुली तरैया, दरियापुर, परसा एवं जलालपुर को छोड़कर किसी भी अंचल का 20% तक वसुली नहीं किया गया है। अंचल दिघवारा द्वारा सबसे कम 5.05 एवं अंचल सोनपुर द्वारा 6.27 प्रतिशत की वसूली हुई है जिस पर पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, दिघवारा एवं सोनपुर द्वारा बताया गया कि अधिकांश मौजा की भूमि असर्वेक्षित होने के कारण वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अभी से ही भू–लगान की वसूली पर विशेष ध्यान देने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही सभी अंचल के वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा नियमित समीक्षा करते रहने का निदेश समाहर्त्ता द्वारा दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सारण जिला।

2. **सैरात** :– समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015–16 में अभि तक अबंदोबस्त सैरातों को अगली तिथि को होने वाली डाक में अपने स्तर से पूर्ण प्रयास से बंदोबस्त कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। साथ ही अगली तिथि को बंदोबस्त नहीं होने के स्थिति में सैरातों का विभागीय वसूली शतप्रतिशत करने का निदेश दिया गया।।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

3. **अतिक्रमण** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 32 वाद लम्बित है, जिसमें सबसे अधिक सदर में– 9, अमनौर– 5, मांझी, बनियापुर, मशरक, सोनपुर में 3, दिघवारा में 4, एकमा, नगरा, परसा एवं इसुआपुर में 1 वाद लंबित पाये गये हैं। समाहर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी, सदर छपरा, अमनौर एवं दिघवारा से पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि लंबित सभी वादों में नोटिस दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा इस माह के अंत तक सभी लंबित वादों को निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

4. **लैण्ड बैंक** :– समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला से भेजे गये सभी प्रस्ताव को विभाग द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया हैं, जिसे सभी संबंधित अंचल को भेज दिया गया हैं। जिसमे से अंचल इसुआपुर से मात्र प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक का प्रस्ताव अंचल से प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब प्रस्ताव/अधियाचना नई भू–अर्जन नीति के तहत देने हेतु सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण जिला।

5. **चालू खतियान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 1805 मौजा में मात्र 819 ग्रामों का कार्य पूर्ण हुआ है और 196 ग्रामों में कार्य चल रहा हैं। इस प्रकार कुल 1015 ग्रामों का ही चालू खतियान का कार्य हुआ है। इस कार्यों की प्रगति पर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी से कार्य अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी वरीय पदाधिकारी को नियमित अंचल के कार्यो का समीक्षा करते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी वरीय पदाधिकारी, सारण जिला।

6. **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में कुल 554 दायर वाद के विरूद्ध 509 वाद निष्पादित किये गये है, जिसके अनुसार निष्पादन का 91.88 प्रतिशत है। उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर का 29 लंबित मामले एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा द्वारा 6 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा का 10 लंबित पाये गये। पृच्छा के क्रम में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, सोनपुर एवं मढ़ौरा द्वारा बताया गया कि संबंधित वाद समय सीमा के अंदर का है, जिसे शीघ्र समाप्त कर दी जायेगी। समाहर्त्ता द्वारा ससमय निष्पादन करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को दिया गया।

अनुपालन– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण।

7. **दाखिल खारिज** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 38323 प्राप्त वाद के विरूद्ध मात्र 37487 वादो का निष्पादन किया गया है। लंबित मामले 836 है, जिसमें सबसे अधिक 114 मामले जलालपुर, 87 बनियापुर एवं 82 गड़खा अंचल में पाया गया, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा अधिक लंबित रहने के कारण पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त सभी मामले समय सीमा के अंदर का है। समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि अंचल पानापुर में 16 दाखिल खारिज के मामले एक्सपायर हो गया है एवं एक मामला दिघवारा में दोनो अंचल अधिकारी से समाहर्त्ता द्वारा पृच्छा की गयी। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, पानापुर द्वारा बताया गया कि मेरे एक कर्मी का एक्सीडेन्ट हो गया था, जिसके कारण ससमय निष्पादन नही हो सका है एवं दिघवारा अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि एक लंबित मामले को निष्पादित कर दिया गया है। समाहर्त्ता द्वारा लंबित मामले को ससमय निष्पादन करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

8. **जनशिकायत** :– समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर जनता दरबार के सभी प्रकार के मामले को शीघ्र निष्पादन करा दी जाय।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सारण जिला।

9. **भू–हस्तांतरण** :– समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रयोजनाओं हेतु चिन्हित भूमि का प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब भेजा जाय ताकि विभिन्न योजनाओं हेतु राज्यस्तरीय संबंधित विभाग से अधियाचना प्राप्त होते ही संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई किया जा सकें।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

10. **महादलित :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में कुल 616 वासहीन महादलित परिवार पाये गये थे। जिसमें वास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

11. **अभियान बसेरा :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा के तहत अंचलवार निम्नांकित श्रेणी के परिवार वासहिन पाये गये हैं। जिसको वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि चिन्हित की गई हैं :–

क्र0	अंचल का नाम	श्रेणीवार सर्वेक्षण						उपलब्ध कराये जाने वाले भूमि का श्रोत				अभि 0
		महादलित	SC	ST	BC-I	BC-II	कुल सर्वेक्षित वासहीन परिवारों की सं0	गै0 म0	गै0 आम	BPPHT	क्रय	
1	2	5	6	7	8	9	10	19	20	21	22	23
1	सदर,छपरा	84					84	14	0	70	0	
2	रिविलगंज	24			16		40	0	0	26	0	
3	मॉझी	16					16	0	0	0	0	
4	एकमा	8					8	8	0	0	0	
5	जलालपुर	55					55	0	0	0	0	
6	नगरा		3				3	0	0	3	0	
7	बनियापुर	2	6		7	4	19	13	0	6	0	
8	लहलादपुर	8		6	2		16	9	3	0	0	
9	गड़खा		11			7	18	15	3	0	0	
10	परसा	5	3		10		18	9	9	0	0	
11	मकेर	8	1		1	1	11	3	0	8	0	
12	मढ़ौरा	65					65	65	0	0	0	
13	अमनौर	13	2	0	4		19	19	0	0	0	
14	तरैया	30			1		31	31	0	0	0	
15	इसुआपुर	7					7	7	0	0	0	
16	मशरक	40			7		47	7	0	33	0	
17	पानापुर	6	3	0	1		10	0	0	10	0	
18	दिघवारा	0			11	4	15	0	2	13	0	
19	दरियापुर	47			5		52	28	7	17	0	
20	सोनपुर		1			9	10	0	0	10	0	
योग –		418	30	6	65	25	544	228	24	196	0	

समाहर्त्ता द्वारा सभी वासहीन परिवार को प्राथमिकता के आधार पर अप्रैल 2015 के अंत तक भूमि उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन – सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

12. **ऑपरेशन भूमि दखल दहानी :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 12296 परिवारों से संबंधित प्रपत्र–I में अपलोड किया गया है, जिसमें 448 बेदखल परिवार पाये गये है। बेदखल परिवारो में से 199 परिवारो को दखल दिलाया गया है। शेष लंबित 249 बेदखल परिवारों को दखल अप्रैल माह के अंत तक कराने हेतु संबंधित सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया। साथ ही नियमित समीक्षा करते हुए सभी वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा द्वारा बताया गया कि अंचल मांझी में कुछ पर्चा पाया गया है, जिसको अभी तक वितरण नही किया गया है। समाहर्त्ता द्वारा उक्त सभी पर्चा को लाभांवित के बीच वितरण करने का निदेश अंचल अधिकारी, मांझी को दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

13. **शहरी लोक भूमि अतिक्रमण :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 86 मौजा में से मात्र 18 मौजा का ही सर्वेक्षण हो पाया हैं, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढ़ौरा, सोनपुर एवं दिघवारा को निदेश दिया गया।

अनुपालन– अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढ़ौरा, सोनपुर एवं दिघवारा।

14. **भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एल0पी0सी0 निर्गत करने हेतु कुल 12534 आवेदन के विरूद्ध मात्र 12398 मामले को निष्पादित किया गया है। शेष अभी भी 136 मामले लंबित हैं, जिसमें सबसे अधिक गड़खा में 44 मामले लंबित है। समाहर्त्ता द्वारा कारण पृच्छा की गयी पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी लंबित मामले समय सीमा के अंदर का है। समाहर्त्ता द्वारा सभी लंबित मामले को अविलम्ब निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठान/कार्यालय वगैरह में लगे होल्डिंग पोस्टर एवं पंपलेट को हटवाने का निदेश सभी अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया की हटाने के उपरांत कोई संस्था वगैरह द्वारा पुनः पोस्टर/पंपलेट लगाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई किया जाय। समाहर्त्ता द्वारा अंचल में लगाये जा रहे जनता दरबार के संबंध में पूछे जाने पर अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी अंचल में बुधवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा नियमित जनता दरबार लगाते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

इसी के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ..../ दिनांक ....

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 551/ दिनांक 22/4/15

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

ह०/- 21/04/15
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।